**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना**

पीठासीन अधिकारीः– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः **125/2021** दायर दिनाँक **04.08.2021**

**प्रार्थी**

1. दामोदर पुत्र स्व. गिरधारी जाति जाट निवासी पायली तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)

**बनाम्**

**अप्रार्थीगण**

1. बुधाराम पुत्र हणुताराम
2. ओमप्रकाश पुत्र हणुताराम
3. दौलाराम पुत्र स्व. गिरधारी (प्रफौर्मा पक्षकार)
4. शांति पत्नी गिरधारी (प्रफौर्मा पक्षकार) समस्त जाति जाट निवासीगण पायली तहसील डीडवाना जिला नागौर।
5. तहसीलदार डीडवाना।

**प्रार्थना–पत्र बाबत्**
**अस्थायी व्यादेश हेतु**
**अन्तर्गत धारा– 212 R.T.Act.**

**उपस्थितः–**

1. श्री प्रकाश डूकीया वकील प्रार्थी।

**–:: निर्णय ::–**

दिनाँक **08.04.2025**

प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि सरहद पायली पटवार क्षेत्र सुद्रासन भू.अ. नि. क्षेत्र नूवां तहसील डीडवाना के खेत खसरा संख्या 198 रकबा 0.02 है, खसरा संख्या 199 रकबा 3.90 है. खसरा संख्या 209 रकबा 0.01 है. खसरा संख्या 210 रकबा 0.03 है. खसरा संख्या 211 रकबा 2.87 है. कुल रकबा 6.83 है. प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 4 तक तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की माता स्व. गंगा बेवा हुणताराम की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की स्थित है। उक्त भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 व 4 का 1/2 हक हिस्सा अधिकार व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 तथा इनकी माता स्व. गंगा का 1/2 हक हिस्सा व अधिकार मौजुद है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 तथा इनके प्रतिनिधि बिना बण्टवारा संयुक्त खातेदारी की भूमि को बैचाण करने पर उतारू है जिन्हे रोका जाना आवश्यक व न्यायसंगत है। प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व क्षति का बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की पारित की जाने कि उक्त वर्णित भूमि का बाई मिट्स एवं बाउंडस बंटवारा पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 व 4 को ना तो अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बेदखल करें और ना ही इन खैतायो की भूमि का बैचाण, हस्तान्तरण, निर्माण, दान ईत्यादि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 स्वयं करें और ना ही अपने किसी एजेन्ट या प्रतिनिधि से ऐसा करावें व दौराने प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 व 4 को उक्त भूमि से बेदखल कर दिया जाता है तो भूमि पर से बेदखल करके पुनः कब्जा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 व 4 को दिलवाया जावे व किसी प्रकार का कोई निर्माण अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा कर लिया जावे तो उसको भी हटाया जाने के आदेश सादर फरमावे।

प्रार्थीया की इस्तदुआ पर खेत खसरा संख्या 198, 199, 209, 210, 211 सरहद पायली में राजस्व रेकर्ड की यथा[illegible] बाबत दिनांक 14.09.2021 को जरिये अन्तरिम अस्थायी निषे[illegible] से अ[illegible]गण को पाबन्द किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जा[illegible] प्रार्थीगण को बाबत जबाबदेही तलब किया गया। अप्रार्थीगण [illegible] तामिली अनुपस्थित एकतरफा कार्यवाही की गई।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एक पक्षीय बहस मुख्यतः उनके प्रार्थना–पत्र पर आधारित रही। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि बिना बण्टवारा संयुक्त खातेदारी की भूमि को बैचाण करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 14:46:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

पर उतारू है जिन्हे रोका जाना आवश्यक व न्यायसंगत है। प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की पारित किया जाना न्यायसंगत है।

बहस पर मनन किया रेकार्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन व बहस पर मनन करने के उपरान्त अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्ति के लिए आवश्यक तीनो बिन्दुओं पर निम्नानुसार निर्णय पारित किया जाता है।

1. **प्रथम दृष्टया मामला** :– सरहद पायली में खेत खसरा संख्या 198, 199, 209, 210, 211 की भूमि प्रार्थी बिना बण्टवारा भूमि का बैचाण, हस्तान्तरण, निर्माण, दान ईत्यादि नहीं करने की अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु प्रार्थी इस्तदुआ कर रहा है। प्रश्नगत भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि है इसलिए प्रथमदृष्टया मामला उसके पक्ष में निर्णित किया जाता है।
2. **सुविधा का संतुलन** :– प्रार्थी खातेदार काश्तकार होने एवं बिना विधिवत विभाजन के बैचाण होने से प्रार्थी को भारी असुविधा होगी। अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।
3. **अपूरणीय क्षति** :– प्रार्थी के खातेदार होने के कारण भूमि का बिना बंटवारा बेचाण, निर्माण, हस्तान्तरण एवं दान होने पर प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

उपरोक्त प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णित होने के कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी की कृषि भूमि में अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्ति का हकदार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

–:आदेश :–

**प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि सरहद पायली पटवार क्षेत्र सुद्रासन भू.अ.नि. क्षेत्र नूवां तहसील डीडवाना के खेत खसरा संख्या 198 रकबा 0.02 है, खसरा संख्या 199 रकबा 3.90 है. खसरा संख्या 209 रकबा 0.01 है. खसरा संख्या 210 रकबा 0.03 है. खसरा संख्या 211 रकबा 2.87 है. कुल रकबा 6.83 है. की भूमि में किसी प्रकार का बेचाण, निर्माण, हस्तानांतरण, दान ईत्यादि नहीं करेंगे। राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथाथिति बनाए रखेंगें।**

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना
डीडवाना

निर्णय आज दिनॉंक **08.04.2025** को सरे इजलास में सुनाया गया।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 14:46:08 IST
Reason: SelfAttested